

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2319 / 2021

दिनांक : 25/10.2021

श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ0714), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं :-

01. दिनांक 20.09.2021 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 19.09.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित ।
02. दिनांक 21.09.2021 से 24.09.2021 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 25.09.2021 से 26.09.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री बागड़ी की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 23-10-2021

कमांक:-स्था.बी.2(4)/84/2011/ 6590

दिनांक : 25.10.2021

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 5759 दिनांक 06.10.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री विनोद कुमार बागड़ी (RJ0714), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) ।

सहायक रजिस्ट्रार